



NIEOM ACADEMY

New India Education by Omkar Sir

❖ मासिक समसामयिकी पुस्तिका ❖

अगस्त 2026 समसामयिकी

RAS, RPSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए | 10 खंड | अभ्यास प्रश्न सहित

अनुक्रमणिका

खंड	विषय	मुख्य सामग्री	पेज
1	राष्ट्रीय समसामयिकी	80वाँ स्वतंत्रता दिवस, मानसून सत्र के 12 विधेयक, "केरलम", लद्दाख पीठ, मंत्रिमंडल के निर्णय, नई योजनाएँ, रिपोर्टें	2
2	राजस्थान विशेष समसामयिकी	समान नागरिक संहिता और वृक्ष संरक्षण विधेयक, मंत्रिमंडल के निर्णय, नई नीतियाँ, 309 निकाय चुनाव, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार, खेल	24
3	अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी	उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, द्विपक्षीय संबंध, मक्का रक्षा समझौता, सीरिया, लेबनान, नए राष्ट्राध्यक्ष	48
4	आर्थिक समसामयिकी	मौद्रिक नीति, विकास दर और महंगाई, "गोबरधन", मोबाइल और सेमीकंडक्टर, यूपीआई के 10 वर्ष, फोर्ब्स सूचियाँ	59
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"परम प्रज्ञा", रोमन दूरबीन, उपग्रह समूह, अग्नि-4, स्वदेशी हथियार, नौसेना के पोत	70
6	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	ग्लॉब झील, पर्यावरण सूचकांक, मरुस्थलीकरण सम्मेलन, तितली-पतंगा सूची, वन्यजीव	80
7	नियुक्तियाँ और निधन	सेना और केंद्र की नियुक्तियाँ, सेवा विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारतीय, निधन	89
8	पुरस्कार एवं सम्मान	खेल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, हथकरघा, संगीत नाटक अकादमी, शिक्षक पुरस्कार, विज्ञान के सम्मान	97
9	खेल समसामयिकी	राष्ट्रमंडल खेल, हॉकी विश्व कप, विश्व बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स, तलवारबाज़ी, शतरंज, टेनिस	105
10	विविध, दिवस और पुस्तकें	अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, चर्चित पुस्तकें, मेले-महोत्सव, 20 अभ्यास प्रश्न हल सहित	113

राष्ट्रीय समसामयिकी

संसद, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल के निर्णय, नई योजनाएँ, रिपोर्टें और राज्यों की प्रमुख खबरें (National Current Affairs)



शुरुआत एक झलक से

15 अगस्त 2026 की सुबह लाल किले पर एक ऐसा दृश्य दिखा जो आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं दिखा था: ध्वजारोहण के साथ पूरा समारोह एक स्वर में **वंदे मातरम्** गा रहा था। उसी महीने संसद ने **12 विधेयक** पारित किए, एक राज्य का नाम बदलकर **केरलम** हो गया, लद्दाख को पहली बार उच्च न्यायालय की पीठ मिलने का रास्ता खुला और मिजोरम को अपना राज्य गीत मिला। इस खंड में अगस्त 2026 की हर बड़ी राष्ट्रीय घटना को इस क्रम में समझाया गया है: पहले **क्या हुआ**, फिर **उसकी पृष्ठभूमि**, फिर **परीक्षा के लिए याद रखने वाले तथ्य**। जहाँ कोई कठिन शब्द आया है, वहाँ उसकी आसान परिभाषा भी दी गई है।



इस खंड में क्या-क्या है

1. 80वाँ स्वतंत्रता दिवस: लाल किले से 13वाँ लगातार संबोधन
2. संसद का मानसून सत्र 2026: 12 विधेयक, अधिकरण सुधार और "केरलम"
3. न्यायपालिका: लद्दाख पीठ, न्यायाधीश जाँच रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय
4. केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय
5. नई योजनाएँ, अभियान और डिजिटल पहलें
6. रिपोर्ट और सर्वेक्षण: नीति आयोग और प्यू रिसर्च
7. राज्यों की प्रमुख खबरें
8. भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठकें और अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन
9. एक पंक्ति के तथ्य: त्वरित दोहराव

1. 🇮🇳 80वाँ स्वतंत्रता दिवस: लाल किले से 13वाँ लगातार संबोधन



क्या हुआ

भारत ने 15 अगस्त 2026 को अपना **80वाँ स्वतंत्रता दिवस** मनाया। मुख्य समारोह नई दिल्ली के **लाल किले** पर हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। यह लाल किले से उनका **13वाँ लगातार** संबोधन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 13 बार यह संबोधन देने वाले वे दूसरे प्रधानमंत्री बने।



आसान परिभाषा: 80वाँ स्वतंत्रता दिवस, पर आज़ादी के 79 वर्ष

किताबी अर्थ: स्वतंत्रता दिवस की गिनती पहले दिवस (15 अगस्त 1947) को शामिल करके की जाती है, जबकि वर्षगाँठ पूरे हुए वर्षों से गिनी जाती है।

सरल भाषा में: 15 अगस्त 1947 खुद पहला स्वतंत्रता दिवस था। इसलिए 2026 में दिवस 80वाँ है, लेकिन आज़ादी को पूरे 79 वर्ष हुए हैं।

उदाहरण: जैसे बच्चे का जन्म वाला दिन उसका "पहला दिन" होता है, पर पहला जन्मदिन एक साल बाद आता है। परीक्षा में "80वाँ दिवस" और "79 वर्ष पूर्ण", दोनों को लेकर भ्रम वाला प्रश्न बनता है।

🕒 इस बार क्या नया था

- **पहली बार सामूहिक वंदे मातरम्:** स्वतंत्रता के बाद पहली बार 15 अगस्त के लाल किला समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का सामूहिक गायन हुआ। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा था और इसकी रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है।
- **मुख्य विषय (थीम):** समारोह दो विषयों पर केंद्रित रहा: "वंदे मातरम् के 150 वर्ष" और "विकसित भारत@2047 के लिए युवा शक्ति"।
- **पूरी तरह स्वदेशी व्यवस्था:** पहली बार समारोह में इस्तेमाल हुए सभी उपकरण भारत में बने थे। 21 तोपों की सलामी भी स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से दी गई।
- **हर घर तिरंगा:** 8 अगस्त से देश के 343 स्थानों पर सेना और सुरक्षा बलों के बैंड ने प्रस्तुति दी और घर-घर तिरंगा फहराने का अभियान चला।

🎯 "सप्तधारा": विकसित भारत की सात शक्तियाँ

प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए "सप्तधारा" (सात धाराएँ या सात शक्तियाँ) की बात रखी। इसका अर्थ है कि देश की ताकत किसी एक क्षेत्र से नहीं, सात क्षेत्रों के एक साथ आगे बढ़ने से बनेगी।

क्रम	धारा	आसान अर्थ
1	विनिर्माण शक्ति	ऐसा सामान बनाना जिसमें कोई खोट न हो और जो दुनिया के बाज़ार में टिक सके
2	कृषि और खाद्य उत्पादन	रसायन-मुक्त खेती और खाद्य प्रसंस्करण, ताकि किसान का माल विदेश तक बिके
3	तकनीक और नवाचार	कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स और 6जी में आगे रहना
4	गति शक्ति	तेज़ रेल, राजमार्ग, जलमार्ग, हवाई अड्डे और माल ढुलाई का जुड़ा हुआ जाल
5	रक्षा शक्ति	हथियार, ड्रोन और आधुनिक रक्षा तकनीक खुद बनाना
6	हरित और नीली अर्थव्यवस्था	हरित हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा और समुद्र तथा तटों से जुड़ा विकास
7	सांस्कृतिक शक्ति (सॉफ्ट पावर)	योग, आयुर्वेद, फ़िल्म और रचनात्मक उद्योगों से दुनिया में भारत का प्रभाव

📊 भाषण की प्रमुख घोषणाएँ

बिंदु	विवरण
परमाणु ऊर्जा	2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य; इसी दशक में 5 नए रिएक्टर चालू करने की बात
कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण	अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का प्रशिक्षण
खेल	5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिभा खोज अभियान; 2036 ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा दोहराई
लखपति दीदी	3 करोड़ का लक्ष्य पार; अब नया लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी
उद्योग	अगले दशक में 50 भारतीय कंपनियों को फॉर्च्यून 500 सूची में पहुँचाने का लक्ष्य
नागरिक सुरक्षा	आधुनिक, स्वैच्छिक नागरिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने की घोषणा
महिला प्रतिनिधित्व	लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को लागू करने की अपील

🔗 जुड़ा स्थायी ज्ञान

- **राष्ट्रीय गीत बनाम राष्ट्रगान:** "वंदे मातरम्" राष्ट्रीय गीत है (रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उपन्यास "आनंदमठ" में

शामिल)। "जन गण मन" राष्ट्रगान है (रचनाकार रवींद्रनाथ टैगोर)। दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया।

- **लाल किला ही क्यों:** 15 अगस्त 1947 के बाद पहला संबोधन पंडित नेहरू ने लाल किले से दिया था; तब से हर प्रधानमंत्री यहीं से ध्वज फहराता है। 26 जनवरी को ध्वज **राष्ट्रपति** कर्तव्य पथ पर फहराते हैं।
- **ध्वजारोहण और ध्वज फहराना:** 15 अगस्त को ध्वज नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है (ध्वजारोहण), जबकि 26 जनवरी को ऊपर बँधा ध्वज खोला जाता है।

2. संसद का मानसून सत्र 2026: 12 विधेयक पारित

क्या हुआ

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चला। 25 दिनों की इस अवधि में 19 बैठकें हुईं और लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों सदनों से 12 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 2 विधेयक पेश किए गए थे। इस सत्र की एक खास बात यह रही कि ज्यादातर विधेयक बहुत कम चर्चा के साथ पारित हुए। सबसे लंबी बहस लोक परीक्षा वाले विधेयक पर हुई, जिस पर लोकसभा में 10 घंटे से अधिक चर्चा चली।

आसान परिभाषा: संसद का सत्र (Session)

किताबी अर्थ: राष्ट्रपति द्वारा सदन को बुलाने से लेकर सत्रावसान तक की अवधि सत्र कहलाती है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।

सरल भाषा में: संसद साल भर लगातार नहीं चलती। वह साल में आम तौर पर तीन बार बैठती है: बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)।

उदाहरण: जैसे स्कूल में साल भर की पढ़ाई तीन सत्रों में बँटी होती है और बीच में छुट्टियाँ आती हैं, वैसे ही संसद का काम तीन सत्रों में बँटा है।

पारित हुए सभी 12 विधेयक

क्र.	विधेयक	मुख्य बात (आसान भाषा में)
1	सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026	सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई (मुख्य न्यायाधीश सहित)। इससे पहले जारी अध्यादेश की जगह यह कानून आया।
2	राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026	राष्ट्रगान को जो कानूनी सुरक्षा मिली थी, वही अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी मिली। गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों।
3	लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026	पेपर लीक जैसे अपराधों की जाँच 2 माह में और मुकदमे की सुनवाई 3 माह में पूरी करने का प्रावधान; विशेष त्वरित न्यायालय; न्यूनतम सज़ा 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम जुर्माना ₹50 लाख।
4	जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026	देर से पंजीकरण के नियम तय: 1 से 2 वर्ष की देरी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश और 2 वर्ष से अधिक की देरी पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश ज़रूरी।
5	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026	छोटे उद्योगों के बकाया भुगतान को ऑनलाइन मंच ट्रेड्स (TReDS) से जोड़ना, विवाद जल्दी निपटाना और कुछ छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाना।
6	अधिकरण सुधार विधेयक, 2026	राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना; 2021 का अधिकरण सुधार कानून निरस्त (विस्तार नीचे)।

क्र.	विधेयक	मुख्य बात (आसान भाषा में)
7	केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026	राज्य का नाम "केरल" से "केरलम" (विस्तार नीचे)।
8	खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026	खनिजों पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों को नियमित करना, ताकि खनन क्षेत्र में कर-व्यवस्था स्थिर रहे।
9	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026	निगम अब केवल सहकारी समितियों को ही नहीं, सहकारी विकास में लगी अन्य संस्थाओं को भी ऋण और अनुदान दे सकेगा।
10	बैंक बही साक्ष्य विधेयक, 2026	1891 के पुराने कानून की जगह नया कानून; अब बैंक के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी अदालत में साक्ष्य माने जाएंगे।
11	कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026	आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की जगह लाया गया; विदेशी निवेशकों को कर-रियायत और डिजिटल भुगतान से जुड़े बदलाव।
12	विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026	सरकार को संचित निधि से अतिरिक्त खर्च की अनुमति देने वाला धन-संबंधी विधेयक।

✚ सत्र के अन्य तथ्य

- **संयुक्त समिति को भेजा गया:** विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को विस्तृत विचार के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया।
- **लंबित रहा:** भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 पेश हुआ, पर पारित नहीं हुआ।
- **कामकाज (उत्पादकता):** संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार लोकसभा की उत्पादकता लगभग 19% और राज्यसभा की लगभग 39% रही।

🧠 आसान परिभाषा: अध्यादेश (Ordinance)

किताबी अर्थ: संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून की ज़रूरत हो। संसद बैठने के 6 सप्ताह के भीतर इसे मंजूरी न मिले तो यह समाप्त हो जाता है।

सरल भाषा में: अध्यादेश एक "अस्थायी कानून" है, जो सरकार संसद की छुट्टी के दौरान लाती है। बाद में संसद उसे पक्का कानून बना देती है।

उदाहरण: इस सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या और आयकर से जुड़े दो अध्यादेशों की जगह संसद ने विधेयक पारित किए। इसी को "अध्यादेश का प्रतिस्थापन" कहते हैं।

2.1 ⚖️ अधिकरण सुधार अधिनियम, 2026

📖 क्या हुआ

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 को लोकसभा ने 10 अगस्त और राज्यसभा ने 11 अगस्त 2026 को पारित किया। राष्ट्रपति की मंजूरी 13 अगस्त को मिली। यह कानून **अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021** को निरस्त करता है, यानी पुराने कानून की जगह लेता है।

🧠 आसान परिभाषा: अधिकरण (Tribunal)

किताबी अर्थ: अधिकरण अर्ध-न्यायिक संस्था है, जिसे किसी विशेष विषय के विवाद निपटाने के लिए कानून द्वारा बनाया जाता है। संविधान में इनका आधार अनुच्छेद 323क और 323ख हैं, जो 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।

सरल भाषा में: अधिकरण एक "विशेषज्ञ अदालत" है। आम अदालतों में हर तरह के मुकदमे आते हैं, पर अधिकरण सिर्फ एक विषय देखता है, इसलिए फ़ैसला जल्दी और जानकारी के साथ होता है।

उदाहरण: सरकारी कर्मचारी की नौकरी का विवाद केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाता है, पर्यावरण का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण में और कंपनी का मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में।

पृष्ठभूमि: यह कानून क्यों लाना पड़ा

अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच कई वर्षों से खींचतान चल रही थी। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा कि अधिकरण तभी निष्पक्ष रह सकते हैं जब उनकी नियुक्तियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण न हो। न्यायालय ने 2021 के कानून के कई प्रावधानों को इसी आधार पर रद्द किया था और एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग बनाने को कहा था। नया कानून उन्हीं निर्देशों के अनुसार लाया गया है।

कानून के मुख्य प्रावधान

बिंदु	विवरण
नई संस्था	राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission)
आयोग के काम	अधिकरणों में नियुक्ति की चयन प्रक्रिया चलाना, उनके काम की समीक्षा करना, शिकायतों की जाँच देखना और ऑकड़ों की व्यवस्था रखना
आयोग की बनावट	1 अध्यक्ष + 4 सदस्य । अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। सदस्य: 2 न्यायिक (पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश) और 2 तकनीकी (25 वर्ष से अधिक अनुभव वाले विशेषज्ञ)
आयोग का कार्यकाल	5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो
अधिकरण के अध्यक्ष	5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो
अधिकरण के सदस्य	5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु, जो पहले हो; काम के मूल्यांकन के आधार पर दोबारा नियुक्ति संभव
नियुक्ति की समय-सीमा	चयन समिति की सिफारिश के बाद सरकार को 3 माह के भीतर नियुक्ति करनी होगी
दायरा	कानून 16 अधिकरणों पर लागू
राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड	सभी 16 अधिकरणों के मामलों की जानकारी एक ही ऑनलाइन मंच पर

याद रखने की तरकीब

अधिकरण के अध्यक्ष की आयु 70 और सदस्य की 67: यह वही अंतर है जो कई संवैधानिक संस्थाओं में दिखता है, जहाँ प्रमुख को सदस्यों से कुछ वर्ष अधिक मिलते हैं। कार्यकाल दोनों का 5 वर्ष है।

2.2 ✨ "केरल" अब आधिकारिक रूप से "केरलम"

क्या हुआ

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को लोकसभा ने 11 अगस्त और राज्यसभा ने 12 अगस्त 2026 को पारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 14 अगस्त को इसे मंजूरी दी और 25 अगस्त 2026 से कानून लागू होने पर राज्य का आधिकारिक नाम "केरलम" हो गया।

पृष्ठभूमि

मलयालम भाषा में राज्य को हमेशा से "केरलम" ही कहा जाता है; "केरल" उसका अंग्रेजी और हिंदी में चला आ रहा रूप था। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र से नाम बदलने का अनुरोध किया था। उसी माँग को इस कानून ने पूरा किया।

आसान परिभाषा: अनुच्छेद 3: राज्य का नाम कैसे बदलता है

किताबी अर्थ: संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम बदलने की शक्ति देता है। विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है और राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य की विधानसभा के पास राय के लिए भेजते हैं।

सरल भाषा में: किसी राज्य का नाम बदलने का अंतिम अधिकार संसद के पास है, राज्य के पास नहीं। राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है, पर संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है।

उदाहरण: केरल विधानसभा ने 2024 में सिर्फ प्रस्ताव पारित किया था, उससे नाम नहीं बदला। नाम तब बदला जब संसद ने 2026 में कानून बनाया। अनुच्छेद 4 के अनुसार ऐसा कानून संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) नहीं माना जाता।

बिंदु	विवरण
कानून का नाम	केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 3
संविधान में कहीं बदलाव	पहली अनुसूची (राज्यों की सूची), चौथी अनुसूची (राज्यसभा की सीटें) और जहाँ-जहाँ राज्य का नाम आता है
लोकसभा / राज्यसभा	11 अगस्त / 12 अगस्त 2026
राष्ट्रपति की मंजूरी	14 अगस्त 2026
लागू	25 अगस्त 2026
राज्य विधानसभा का प्रस्ताव	24 जून 2024

पहले किन राज्यों के नाम बदले

पुराना नाम	नया नाम	वर्ष
संयुक्त प्रांत	उत्तर प्रदेश	1950
मद्रास	तमिलनाडु	1969
मैसूर	कर्नाटक	1973
उत्तरांचल	उत्तराखंड	2007
उड़ीसा	ओडिशा	2011
केरल	केरलम्	2026

3. न्यायपालिका से जुड़ी प्रमुख खबरें

3.1 लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ

क्या हुआ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2026 को लद्दाख में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की पीठ बैठाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके एक सप्ताह के भीतर, 27 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके लिए विनियम जारी कर दिया।

पृष्ठभूमि

2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्रशासित प्रदेश बने, पर दोनों का उच्च न्यायालय एक ही रहा। इसकी पीठें केवल जम्मू और श्रीनगर में थीं। इसलिए लेह के मामले जम्मू में और कारगिल के मामले श्रीनगर में सुने जाते थे। लद्दाख के लोगों को सुनवाई के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, और सर्दियों में रास्ते बंद होने पर यह और कठिन हो जाता था।

बिंदु	विवरण
विनियम का नाम	केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की लद्दाख में पीठ की बैठक) विनियम, 2026
संवैधानिक आधार	अनुच्छेद 240 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 58(2)
मुख्य प्रावधान	उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जहाँ है वहीं रहेगी; मुख्य न्यायाधीश, लद्दाख के उपराज्यपाल की स्वीकृति से, न्यायाधीशों या खंडपीठों की बैठक लद्दाख में करा सकेंगे
क्या अलग उच्च न्यायालय बना?	नहीं। उच्च न्यायालय दोनों केंद्रशासित प्रदेशों का साझा ही रहेगा; लद्दाख की पीठ जम्मू और श्रीनगर के बाद तीसरी पीठ होगी

🔴 आसान परिभाषा: अनुच्छेद 240 का विनियम (Regulation)

किताबी अर्थ: अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है। ऐसे विनियम का प्रभाव संसद के कानून जैसा ही होता है।

सरल भाषा में: जिन केंद्रशासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा नहीं है, उनके लिए राष्ट्रपति सीधे नियम बना सकते हैं और वह नियम कानून की तरह लागू होता है।

उदाहरण: लद्दाख में विधानसभा नहीं है, इसलिए वहाँ उच्च न्यायालय की पीठ के लिए संसद में विधेयक लाने की जगह राष्ट्रपति ने विनियम जारी किया।

🔧 जुड़ा स्थायी ज्ञान

- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना महाराजा हरि सिंह के 26 मार्च 1928 के आदेश से हुई थी। लाला कँवर सैन इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
- संविधान का अनुच्छेद 231 संसद को दो या अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने की अनुमति देता है।

3.2 🔥 न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा: जाँच समिति ने तीनों आरोप सही पाए

📖 क्या हुआ

न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के तहत बनी तीन सदस्यीय जाँच समिति ने 12 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध तीनों आरोप सिद्ध पाए।

👤 पृष्ठभूमि

मार्च 2025 में दिल्ली में न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद वहाँ से जले हुए नोटों के बंडल मिलने की बात सामने आई थी। अगस्त 2025 में लोकसभा के 146 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद यह जाँच समिति बनी। जाँच पूरी होने से पहले ही न्यायमूर्ति वर्मा ने 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिया था।

बिंदु	विवरण
जाँच समिति के सदस्य	सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और वरिष्ठ अधिवक्ता बी. वी. आचार्य
सिद्ध हुए तीन आरोप	(1) बड़ी मात्रा में नकदी का होना, जिसका वैध स्रोत नहीं बताया जा सका; (2) जले नोटों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित न रखना; (3) ढालने वाले और भ्रामक जवाब देना
उलझन	इस्तीफा हो चुका है, इसलिए हटाने का प्रस्ताव अब निष्प्रभावी माना जा सकता है। इससे यह बहस उठी कि जाँच के बीच इस्तीफे की स्थिति के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए

🔴 आसान परिभाषा: न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया

किताबी अर्थ: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 217 तथा 218 के तहत केवल "सिद्ध कदाचार या असमर्थता" के आधार पर हटाया जा सकता है। प्रक्रिया न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दी गई है।

सरल भाषा में: न्यायाधीश को सरकार नहीं हटा सकती। पहले सांसद प्रस्ताव देते हैं (लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य), फिर तीन सदस्यों की समिति जाँच करती है, और आरोप सही निकलें तो संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश देते हैं।

उदाहरण: आम बोलचाल में इसे "महाभियोग" कह दिया जाता है, पर संविधान में "महाभियोग" शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए (अनुच्छेद 61) आया है। भारत में आज तक किसी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है।

3.3 📌 सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय (अगस्त 2026)

अगस्त 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए जो सीधे आम लोगों और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से जुड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत हैं।

विषय	न्यायालय ने क्या कहा	क्यों महत्वपूर्ण
सिविल जज बनने के लिए वकालत की शर्त (21 अगस्त 2026)	मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत से 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्य शर्त बदली। 31 मार्च 2027 तक विधि स्नातक सीधे परीक्षा दे सकेंगे। 1 अप्रैल 2027 से व्यवस्था होगी: 1 वर्ष वकालत + 1 वर्ष न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण + 1 वर्ष विधि-सहायक के रूप में काम (6 माह ज़िला न्यायाधीश और 6 माह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ)।	न्यायालय ने 20 मई 2025 के अपने ही निर्णय में बदलाव किया, जिसने 3 वर्ष की शर्त अचानक लागू कर दी थी। इससे न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे नए स्नातकों को राहत मिली।
छात्र प्रदर्शन में बल-प्रयोग की जाँच (20 अगस्त 2026)	नई दिल्ली में परीक्षा को लेकर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल-प्रयोग और सुरक्षाकर्मियों पर हुई हिंसा, दोनों की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय उच्चाधिकार समिति बनाई। अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी ।	समिति को महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार के आरोपों की जाँच प्राथमिकता से करके अंतरिम रिपोर्ट देनी है।
"डिजिटल अरेस्ट" की ठगी	ऑनलाइन ठगी के इस तरीके को रोकने और पीड़ितों की शिकायत जल्दी सुलझाने के लिए कड़ी मानक कार्य-प्रणाली के निर्देश दिए।	"डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है; कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करती।
सहजीवन संबंध और दहेज क्रूरता कानून	कहा कि विवाह के इरादे वाले सहजीवन (लिव-इन) संबंधों में भी महिला पति की क्रूरता वाली धारा (पुराने कानून की धारा 498-क) का संरक्षण मौँग सकती है; साथ ही गलत गिरफ्तारी से बचाव की शर्तें बनी रहेंगी।	नए कानून भारतीय न्याय संहिता में यही अपराध धारा 85 में है।
फाँसी द्वारा मृत्युदंड	फाँसी के तरीके को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को बड़ी पीठ को भेजने से इनकार किया, पर कहा कि भविष्य में नए वैज्ञानिक साक्ष्य आएँ तो विचार हो सकता है।	मृत्युदंड का तरीका दंड प्रक्रिया कानून में "गर्दन से लटकाकर" तय है।
मुकदमे वापस लेना	सरकार बदलने के बाद चुनावी लाभ के लिए आपराधिक मामले वापस लेने की प्रवृत्ति रोकने के निर्देश दिए।	चुनाव में धन-बल और प्रलोभन पर रोक से जुड़ा निर्णय।

👥 छात्र प्रदर्शन जाँच समिति के पाँच सदस्य

- **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. सुभाष रेड्डी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

- **सदस्य:** रवि शंकर झा (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश), शालिंदर कौर (दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश), ऋषि कुमार शुक्ला (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक) और डॉ. एल. आर. बिश्नोई (मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक)
- **आदेश देने वाली पीठ:** मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना

जुड़ा स्थायी ज्ञान: सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

- मूल संविधान (1950) में: मुख्य न्यायाधीश + 7 अन्य न्यायाधीश = कुल 8।
- संख्या बढ़ाने की शक्ति **संसद** के पास है (अनुच्छेद 124)। 2019 में संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी।
- **2026 में:** 34 से बढ़ाकर **38** (मुख्य न्यायाधीश + 37 अन्य न्यायाधीश)।

4. केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय

अगस्त 2026 के अंक में गिने जाने वाले मंत्रिमंडल के निर्णय 31 जुलाई से 20 अगस्त के बीच हुए। नीचे की तालिका में सभी निर्णय एक साथ दिए गए हैं, फिर हर एक को अलग से समझाया गया है।

आसान परिभाषा: मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति

किताबी अर्थ: केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की संस्था है। काम बॉटने के लिए इसकी कई समितियाँ होती हैं; आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) बड़ी आर्थिक परियोजनाओं और कीमतों से जुड़े निर्णय लेती है।

सरल भाषा में: हर बड़ा खर्च पूरा मंत्रिमंडल नहीं देखता। रेल, सड़क, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे आर्थिक विषय एक छोटी समिति तय करती है, जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं।

उदाहरण: रेलवे की चार परियोजनाओं और गुवाहाटी-तेज़पुर राजमार्ग को इसी आर्थिक समिति ने मंजूरी दी, जबकि लद्दाख पीठ जैसे प्रशासनिक विषय को पूरे मंत्रिमंडल ने।

तारीख	निर्णय	राशि	मुख्य बात
31 जुलाई	पीएम-किसान योजना को जारी रखना	₹3.15 लाख करोड़	2026-27 से 2030-31 तक; किसान परिवार को ₹6,000 प्रति वर्ष
31 जुलाई	"समुद्र मंथन" राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना	₹84,084 करोड़	2030-31 तक; गहरे समुद्र में तेल-गैस की खोज
31 जुलाई	खेलो इंडिया योजना का विस्तार	₹36,441 करोड़	पाँच वर्ष के लिए; इसमें खेल महासंघों की सहायता भी शामिल
31 जुलाई	प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना	₹5,070 करोड़	जलाशयों पर तैरते सौर संयंत्र; 5,000 मेगावाट का लक्ष्य
6 अगस्त	गुवाहाटी-तेज़पुर चार लेन गलियारा (असम)	₹8,970 करोड़	राष्ट्रीय राजमार्ग-15 पर 135.87 किलोमीटर
19 अगस्त	रेलवे की चार बहु-पटरी परियोजनाएँ	₹9,450 करोड़	4 राज्य, 8 ज़िले, लगभग 410 किलोमीटर
20 अगस्त	लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ	प्रशासनिक निर्णय	विस्तार ऊपर बिंदु 3.1 में

4.1 पीएम-किसान योजना 2030-31 तक जारी

मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए ₹3.15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।